न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 18/2021 **(जी सी एम एस नम्बर 2021/90)**

उनवानी प्रकरण :–

मुरली पत्नी जानकी प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम वहवलपुर तहसील व जिला धौलपुर

.....**अपीलान्ट**

बनाम्

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ
2–कृष्णा पत्नी नादरिया जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पैकरी तह0 सैपऊ जिला धौलपुर
3–अम्बिका पत्नी रमाकांन्त जाति ब्राहम्ण नि0हॉस्पीटल के पीछे त्यागी भवन के बगल धौलपुर
4–रीना पत्नी संतोष कुमार जाति ब्राहम्ण नि0रेल्वे स्टेशन के पास बाडी ,धौलपुर
5–रतनसिंह पुत्र पन्ना जाति ब्राहम्ण नि0 पैंकरी तह0 सैपऊ जिला धौलपुर " **फोत**"
6–पप्पू पुत्र पीतम जाति ब्राहम्ण निवासी पैंकरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
7–रामनिवास । पुत्रगण स्व0 रतनसिंह जाति ब्राहम्ण
8–महावीर /
9–हरिओम । निवासी ग्राम पैंकरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
10–यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा धौलपुर ————————**रैस्पोडेन्टस**

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 347 दिनांक 23.05.1984 बॉके ग्राम कौलारी तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :–	श्री विजयसिंह शर्मा एडवोकेट
रेस्पो0सं01 की ओर से :–	पैरोकार सरकार
रेस्पो0 सं02 लगा04 की ओर से :–	श्री दाऊदयाल शर्मा एडवोकेट
रेस्पो0सं06 लगा09 की ओर से :–	श्री इन्द्रपाल सिंह जादौन एडवाकेट
रेस्पो0 सं0 10 की ओर से :–	श्री रधुनाथ प्रसाद शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांक : 01.08.2023**

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 603 रकवा 2 वीघा 06 विस्वा वांके ग्राम कौलारी तहसील सैपऊ में 1/4

भाग के खातेदार काश्तकार हरिविलास पुत्र पन्ना जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पैंकरी तहसील सैपऊ थे और हरिविलास के निधनोपरान्त हरिविलास के वारिस एवं उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र नादरिया एवं पुत्री मुरली जो अपीलान्ट है को छोडा था। नादरिया का निधन हो चुका है। नादरिया ने अपने वारिस के रूप में पत्नी कृष्णा, पुत्री अम्बिका व रीना जो रैस्पो0 संख्या 2 लगा04 है तथा पुत्र अनिल का निधन हो चुका है। हरिविलास के निधन के बाद रेस्पो0सं02लगा04 और उनके पिता नादरिया ने अपीलान्ट की वैक पर रेस्पो0 संख्या–1 से साजकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 347 पर आदेश पारित करवा लिया जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट ने निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट के स्व0 हरिविलास पुत्र पन्ना पिता थे तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वारिस है तथा अपीलान्ट सामुहिक रूप से रेस्पोडेन्टस संख्या 2 लगा04 के वरावर अपीलाधीन आराजी में वरावर भाग की अधिकारी है लेकिन रेस्पो0 सं0 2लगा04 व उनके पिता नादरिया ने अपीलान्ट की वैक पर अपीलान्ट का नाम छिपाते हुये अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करवाया है जो तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत है तथा काविल खारिजी है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्वातों के सर्वथा विपरीत है। रैस्पो0 सं0 2लगा04 एवं उनके पिता ने रेस्पो0सं01 से साज कर अपीलान्ट की वैक पर अपीलान्ट को छिपाते हुये अपीलान्ट को बिना सूचना तथा सुनवाई का मौका दिये विना अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करवाया है जो विधि विरूद्व है तथा काविल खारिजी है। अपीलान्ट के पिता हरिविलास के नाम अपीलाधीन नामान्तकरण के अलावा ग्राम पैंकरी में आराजी थी उस आराजी पर अपने पिता हरिविलास के द्वारा छोडी गयी आराजी पर अपीलान्ट का विरासतन नामान्तकरण खोल दिया गया है लेकिन अपीलाधीन नामान्तकरण में नहीं खोला है। अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी सर्वप्रथम 15 दिवस पूर्व जरिये हल्का पटवारी से हुई। अपीलान्ट अपने पिता स्व0 हरिविलास के स्थान पर अपने पक्ष में विरासत का नामान्तकरण हेतु हल्का पटवारी के पास गये थे तव हल्का पटवारी ने अपीलान्ट को बताया था कि स्व0 हरिविलास के स्थान पर नादरिया के वारिसान के पक्ष में नामान्तकरण खुल चुका है। बिना देरी के अपील पेश की जा रही है। देरी की क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 347 ग्राम कौलारी तहसील सैपऊ दिनांक 23.05.1984 निरस्त किये जाने तथा प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। रैस्पो0 संख्या 2लगा04 की ओर से श्री दाऊदयाल शर्मा एडवोकेट, रैस्पो0 संख्या 6 लगा09 की ओर से श्री इन्द्रपालसिंह जादौन एडवोकेट एवं रैस्पो0 सं010 की ओर से श्री रघुनाथप्रसाद शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। दिनांक 04.07.2023 को रैस्पो0 संख्या 2 लगा04 एवं 6 लगा010 के अभिभाषक एवं रैस्पोडेन्ट में से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का ज्ञान सर्वप्रथम अपीलान्ट को 15 दिवस पूर्व जरिये हल्का पटवारी से हुई। अपीलान्ट अपने पिता स्व0 हरिविलास के स्थान पर अपने पक्ष में विरासत का नामान्तकरण हेतु हल्का पटवारी के पास गये थे तव हल्का पटवारी ने अपीलान्ट को बताया था कि स्व0 हरिविलास के स्थान पर नादरिया के वारिसान के पक्ष में नामान्तकरण खुल चुका है। जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाकर अपील अपीलान्ट ज्ञान से अंदर अवधि शुमार की जावे। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र का कोई विरोध नहीं किया है। अभिभाषक अपीलान्ट को सुनने के बाद हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जाती है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एकपक्षीय सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि स्व0 हरिविलास पुत्र पन्ना अपीलान्ट के पिता थे तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्ट उनकी वारिस है तथा अपीलान्ट सामुहिक रूप से रेस्पोडेन्टस संख्या 2 लगा04 के वरावर अपीलाधीन आराजी में बराब्बर भाग की अधिकारी है लेकिन रेस्पो0 सं0 2लगा04 व उनके पिता नादरिया ने अपीलान्ट का नाम छिपाते हुये अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करवाया है जो तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट की वैक पर अपीलान्ट को छिपाते हुये अपीलान्ट को बिना सूचना तथा सुनवाई का मौका दिये विना अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करवाया है जो विधि विरूद्व है। अपीलान्ट के पिता हरिविलास के नाम अपीलाधीन नामान्तकरण के अलावा ग्राम पैंकरी में अन्य आराजी थी उस आराजी पर अपने पिता हरिविलास के द्वारा छोडी गयी आराजी पर अपीलान्ट का विरासतन नामान्तकरण खोल दिया गया है लेकिन अपीलाधीन नामान्तकरण में नहीं खोला है। अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एक पक्षीय प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 347 ग्राम कौलारी में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार हरिविलास पुत्र पन्ना थे। हरिविलास का निधन हो चुका है। मृतक हरिविलास ने अपने निधनोपरान्त अपने वारिसान के रूप में पुत्र नादरिया एवं पुत्री मुरली(अपीलान्ट) को छोडा है। पुत्र नादरिया का निधन हो चुका है। नादरिया के वारिस के रूप में पत्नी कृष्णा, पुत्री अम्बिका व रीना जो रैस्पो0संख्या 2लगा04 है एवं पुत्र अनिल का निधन हो चुका है जिन्होने मृतक हरिविलास का समस्त तर्का बिरासतन मुताविक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम बहिस्सा बराबर–बराबर प्राप्त किया तथा हरिविलास द्वारा छोडी गयी समस्त आराजीयात पर मुताविक हिस्सा संयुक्त रूप से काबिज काश्त हुये लेकिन रेस्पो0 सं0 2लगा04 व उनके पिता नादरिया ने अपीलान्ट की वैक पर अपीलान्ट मुरली का नाम छिपाते हुये अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करवा लिया है जो

गलत है। हमने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 347 ग्राम कौलारी का अवलोकन किया जिसमें हरिविलास पुत्र पन्ना की विरासत का जो नामान्तकरण खोला गया है वह रैस्पो0 संख्या 2 लगा04 के पिता नादरिया पुत्र हरिविलास के नाम खोला गया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध पूर्व के नामान्तकरण संख्या 69 ग्राम पैंकरी तहसील सैपऊ में हरिविलास के वारिसान के रूप में नादरिया एवं मुरली को दर्शाया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 347 ग्राम कौलारी जो खोला गया है उसमें वारिसान में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं है जो एक विराधाभास पैदा करता है। इस प्रकार प्रकरण में मृतक हरिविलास के वारिसान की पुनः सही जॉच होना आवश्यक है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 347 ग्राम कौलारी प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य पाया जाता है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाकर तहसीलदार सैपऊ को हरिविलास पुत्र पन्न के समस्त वारिसान की जॉच कर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 347 दिनांक 23.05.1984 वांके ग्राम कौलारी तहसील सैपऊ निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह हरिविलास पुत्र पन्न के समस्त वारिसानो की जॉच कर तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रतिं तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)